क़ब्ज़े की हक़ीक़त और उसके बारे में हुक्म

जयपुर में 11-14 अक्टूबर 1996 ई0 - 27-30 जमादिलउला 1417 हि0 को आयोजित नवें सेमिनार में कब्ज़े से सम्बनधित विभिन्न पहलुओं की विवेचना की गयी और निम्न प्रस्ताव पारित हुआ।

1- क़ब्ज़े से पहले किसी चीज़ को बेचना सैद्वांतिक रूप से जायज़ नहीं है, लेकिन अगर क़ब्ज़े से पहले बैय (बेचा) जाए तो यह सौदा फ़ासिद होगा ना कि बातिल और क़ब्ज़े के बाद उसे बेचना मुफ़ीद होगा।

2- किताब व सुन्नत में क़ब्ज़े की हक़ीक़त और उसकी कोई विशेष शक्ल निर्धारित नहीं की गयी है, अर्थात शरीअत ने इस संबंध में मुसलमानों के प्रचलन को असल माना है, इस लिए हर ज़माने के प्रचलित तरीक़ों और चीज़ों की क़िस्म के लिहाज़ से क़ब्ज़े की स्थिति निर्धारित होगी।

3- फ़िक्ह के इमामों की व्याख्याओं से पता चलता है कि क़ब्ज़ा अलस में बेची गयी चीज़ पर ख़रीदार के ऐसे अधिकार का नाम है कि उसे अपने प्रयोग में लाने में ख़रीदार के सामने कोई रुकावट न हो। फ़िक्ह की किताबों में इसे ''तख़लिया'' कहा गया है।

4- क़ब्ज़े से पहले बेचने पर पाबंदी शरीअत के हुक्म ''ग़रर इन्फ़िसाख़'' की इल्लत (सौदे की पूर्ति न होने की आशंका) पर आधारित है यानी जब तक चीज़ ख़रीदार के हाथ में न आ जाए इस बात की आशंका बाक़ी है कि वह चीज़ ख़रीदार के क़ब्ज़े में आ ही न पाए और वह किसी और ख़रीदार को उसे देने की स्थिति में न हो।

5- क़ब्ज़े से पहले बेचने पर पाबंदी का सम्बन्ध चल ;डवअंइसम च्तवचमतजलद्ध संपत्ति से है, अचल ;प्उउवअंइसम च्तवचमतजलद्ध सम्पत्ति के मामले में क़ब्ज़े से पहले सौदा करना जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि ख़रीदार के लिए उससे फ़ायदा उठाने में कोई रुकावट न हो।

6- अगर कोई व्यक्ति किसी फ़ैक्ट्री वग़ैरह से माल ख़रीद कर किसी दूसरे आदमी के हाथ बेच दे और अभी ख़रीदा हुआ माल फ़ैक्ट्री ने भेजा भी न हो तो यह स्थिति क़ब्ज़े से पहले बेचने के अन्तर्गत है, और जायज नहीं है।

7- अगर कोई आदमी किसी फ़ैक्ट्री से माल ख़रीद कर उसको किसी ख़ास माध्यम से सामान भेजने का आर्डर दे और यह सामान फ़ैक्ट्री से रवाना भी कर दिया जाए, और नुक़सान की स्थिति में ख़रीदार उस का ज़िम्मेदार हो और भेजने का किराया ख़रीदार के ज़िम्मे हो तो जिस माध्यम से माल भेजा जाएगा उस के पास माल का क़ब्ज़ा ख़रीदार की तरफ़ से समझा जाएगा। इस लिए ऐसी स्थिति में माल पहुंचने से पहले यह माल किसी दूसरे को बेचना जायज़ है। यह क़ब्ज़े से पहले के अन्तर्गत में नहीं आता है मगर दूसरे ख़रीदार के लिए माल पहुंचने से पहले उसे बेचना जाइज़ नहीं होगा, अगर वह ऐसा करेगा तो यह क़ब्ज़े से पहले बेचने के अन्तर्गत होगा।

☆☆☆